जवाहर नवोदय विद्यालय, बरियाही, सहरसा

वर्ष 2017–18 के लिए अन्य उपकरण एवं कम्प्यूटर क्रय संबंधी निविदा की सामान्य शर्त

मेसर्स

....

....

....

1. अन्य उपकरण एवं कम्प्यूटर के क्रय हेतु मुहरबंद निविदा जवाहर नवोदय विद्यालय, बरियाही, सहरसा के कार्यालय में दिनांक 12.01.2018 से 24.01.2018 के अपराह्न 1 बजे तक आमंत्रित की जाती है ।

2. लिफाफे के उपर अन्य उपकरण एवं कम्प्यूटर के क्रय हेतु निविदा का उल्लेख किया जाना अनिवार्य है ।

3. निविदा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 29.01.2018 के पूर्वाह्न 11 बजे खोली जाएगी ।

4. निविदा प्रपत्र, निविदा शर्तें जिनका उल्लेख इस प्रपत्र के क्रम संख्यॉ 01 से 22 में किया गया है, के अनुसार ही भरी जानी चाहिए तथा निविदादाता को निविदा प्रपत्र में वर्णित शर्तो पर सहमति स्वरूप हस्ताक्षर करना अनिवार्य है ।

5. सामग्रियों की आपूर्ति हेतु एफ. ओ. आर. जवाहर नवोदय विद्यालय, बरियाही, सहरसा होगा, जिसके लिए किसी प्रकार का भुगतान निविदादाता को नहीं किया जाएगा ।

6. निविदा में दी गई दर, सभी प्रकार के कर (जीएसटी या अन्य) सहित होनी चाहिए ।

7. निविदा प्रपत्र साफ–स्वच्छ रूप से भरी जानी चाहिए तथा किसी प्रकार की काट–छॉट नहीं होनी चाहिए । यदि किसी प्रकार का परिवर्तन/संशोधन करना आवश्यक हो तो साफ तरीके से की जानी चाहिए तथा परिवर्तन पर निविदादाता के लघु हस्ताक्षर दिनांक सहित उल्लेखित होनी चाहिए जिसके अभाव में प्राप्त निविदा को निरस्त कर दिया जाएगा ।

8. भरी हुई निविदा प्रपत्र के साथ रू.10000.00 दस हजार मात्र की अग्रधन राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में प्राचार्य, जवाहर नवोदय विद्यालय, सहरसा के नाम से देय संलग्न करना अनिवार्य है । अन्य माध्यम से संलग्न की गई अग्रधन राशि मान्य नहीं होगा ।

9. स्वीकृत निविदादाता द्वारा आपूर्ति आदेश के पूर्व निविदा की कुल प्राक्कलित राशि का 10 प्रतिशत सुरक्षा राशि बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा करना होगा । पूर्व में जमा अग्रधन राशि का समायोजन उक्त 10 प्रतिशत की राशि में किया जाएगा ।

10. अस्वीकृत निविदा के निविदादाताओं को उनके द्वारा जमा कराई गई अग्रधन राशि को निविदा स्वीकृत तिथि के एक माह के अन्दर वापस कर दी जाएगी ।

11. यदि कोई सरकारी संस्था, निविदा में भाग लेना चाहती है तो उसे अपने सरकारी संस्था होने का प्रमाण पत्र निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

12. स्वीकृत निविदा के निविदादाता को इस कार्यालय द्वारा दिए गए आपूर्ति आदेश में निर्दिष्ट तिथि तक तथा सामग्रियों की आपूर्ति इस कार्यालय के करनी होगी । यदि निविदादाता निर्दिष्ट तिथि के

अन्दर सामग्रियों की आपूर्ति करने में असफल होते है तो अधोहस्ताक्षरी का यह अधिकार होगा की वे सामग्रियों का क्रय बाजा दर पर अन्य फोर्म से करवा ले । इस परिस्थिति में अधिक भुगतान की गई राशि का समायोजन या कटौती स्वीकृत निविदादाता के द्वारा जमा की गई अग्रधन राशि से की जाएगी । यदि अधिक भुगतान की गई राशि, स्वीकृत निविदादाता द्वारा जमा की गई अग्रधन राशि से अधिक होता है तो, शेष राशि स्वीकृत निविदादाता द्वारा जवाहर नवोदय विद्यालय, बरियाही, सहरसा को वापस करना होगा ।

13. यदि स्वीकृत निविदा के निविदादाता सामग्रियों की आपूर्ति करने में पुरी तरह असमर्थ या असफल होते है तो उनके द्वारा जमा की गई अग्रधन राशि को जब्त कर ली जाएगी ।

14. निविदा में वर्णित सामग्रियों की मात्रा अनुमानित है जिसे अधोहस्ताक्षरी द्वारा आवश्यकतानुसार घटाया/बढाया जा सकता है ।

15. निविदादाताओं को निविदा खोलने की तिथि को निविदा प्रपत्र में वर्णित सामग्रियों के नमुने को अवलोकन हेतु साथ लाना अनिवार्य होगा ।

16. सामग्रियों की आपूर्ति की जॉच अधोहस्ताक्षरी द्वारा या उनके द्वारा मनोनित प्रतिनिधि द्वारा ही की जाएगी । यदि आपूर्ति की गई सामग्री, स्वीकृत नमुने/मानदंडों के अनुसार नहीं होती है तो आपूर्ति आदेश को निरस्त कर दिया जाएगा ।

17. निविदादाता सामग्रियों को अच्छी तरह से सील/पैक करने हेतु जिम्मेवार होंगें ताकि उसे सड़क मार्ग से भेजते समय किसी प्रकार का नुकसान न हो ।

18. कार्य समाप्ति के उपरांत अग्रधन राशि निविदादाता को वापस कर दी जायेगी । आपूर्ति आदेश के विरूद्ध भुगतान करते समय टी.डी.एस. की कटौती विपत्र से कर ली जायेगी ।

19. स्वीकृत निविदा की दरें दिनांक 30.04.2018 तक मान्य होंगी ।

20. सभी प्राकार के विवादों का निपटारा सहरसा न्यायिक क्षेत्र के अंतर्गत होगा ।

21. निविदादाता को निविदा के साथ निम्न दस्तावेज/प्रमाणपत्रों की प्रतियॉ संलगन की जानी चाहिए

अ. आयकर, बिक्रिकर (जीएसटी) तथा अन्य विभागों द्वारा जारी निबंधन प्रमाणपत्र

ब. अग्रधन राशि सिर्फ बैंक ड्राफ्ट के रूप में ही स्वीकार किए जायेंगें ।

स. यदि निविदादाता अधिकृत/अनुमोदित वितरक हैं तो संबंधित कंपनी द्वारा तत्संबंधी प्रमाणपत्र

22. अधोहस्ताक्षरी को यह अधिकार प्राप्त है कि वह बिना कारण बताए किसी एक/सभी निविदादाता को अस्वीकृत कर दें, जिसे चुनौती नहीं दी जा सकती । न्यूनतम दर वाले निविदा को स्वीकृत करने के लिए अधोहस्ताक्षरी बाध्य नहीं है । विविदा दर की स्वीकृति, सामग्रियों की गुणवत्ता को ध्यान में रख कर की जाएगी ।

उपरोक्त सभी शर्ते एवं निर्देश मुझे/हमें मान्य है ।

गवाह का हस्ताक्षर..................................

गवाह का नाम ....

पुरा पता ....

....

निविदादाता का हस्ताक्षर

तिथि एवं मुहर

मोबाईल नं.

ईमेंल–